

**उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13 के अन्तर्गत अधिकारियों के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु आवेदन-पत्र**

1. अधिकारी का नाम: .....
2. अधिकारी की ID (ऑन लाइन इन्ट्री के अनुसार) : .....
3. वर्तमान धारित पदनाम: .....
4. मूल पदनाम : .....  
(निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, खण्ड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी)
5. वर्तमान कार्यालय/संस्थान का नाम: .....
6. अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण की पात्रता [निम्नांकित (i) से (vii) तक जो लागू हो उसके सम्मुख ✓ का निशान लगायें] :-

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्रता		
1	2	3
(i)	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण [स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा-13(1) के अनुसार]	
(ii)	दुर्गम में न्यूनतम 03 वर्ष अथवा सम्पूर्ण सेवा काल में दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दुर्गम में स्थानान्तरण [स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा-13(2) के अनुसार]	
(iii)	उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति-पत्नी [स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा-13(3) के अनुसार]	
(iv)	कार्मिक स्वयं अपनी अथवा पति-पत्नी (यथा लागू) स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-3 के खण्ड (घ) में यथानिर्दिष्ट गम्भीर रोगग्रस्तता/विकलांगता के आधार पर स्थानान्तरण [स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा-13(4) के अनुसार]	
(v)	मानसिक रूप से विकसित अथवा ऐसे रोगग्रस्त बच्चे जो पूर्णतः लाचार हैं तथा देखभाल/नित्यक्रिया आदि के लिए पूर्णतः माता-पिता पर निर्भर [स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा-13(5) के अनुसार]	
(vi)	विधवा, विधुर, सक्षम न्यायालय के आदेश से घोषित परित्यक्ता एवं तलाकशुदा तथा वरिष्ठ कार्मिक (जिस श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन किया गया है उसका उल्लेख कॉलम-3 में करें) [स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा-13(6) के अनुसार]	
(vii)	सेवारत पति पत्नी जिनका इकलौता पुत्र/पुत्री विकलांग हो [स्थाना0 अधिनियम, 2017 की धारा-17-(1)(ख)(तीन) के अनुसार]	

7. स्थानान्तरण हेतु विकल्प (वरीयता अनुसार) -

वरीयता क्रमोंक	कार्यालय/संस्थान का नाम	विकास खण्ड का नाम	जनपद का नाम	मण्डल का नाम	कार्यालय/संस्थान की श्रेणी (सुगम/दुर्गम)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

**नोट:**

1. अनुरोध में स्थानान्तरण हेतु जिस पात्रता के अन्तर्गत आवेदन किया गया है, उससे सन्दर्भित प्रमाणपत्र (सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र) (गम्भीर रोग अथवा विकलांगता की स्थिति में स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-3 (च) एवं (छ) के अनुसार प्रमाण पत्र) संलग्न करना अनिवार्य है।
2. स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-13 के अन्त में अंकित टिप्पणी के अनुसार भरे हुए पदों/ कार्यस्थलों के लिए अनुरोध अनुमन्य नहीं होगा।

हस्ताक्षर अधिकारी :

नाम :

पदनाम:

जनपद:

प्रतिहस्ताक्षर

सक्षम अधिकारी

(हस्ताक्षर)

नाम :

पदनाम :

(कार्यालय की मुहर)